प्रकाश स्तम्भ

समाचार पत्र

वर्ष-35 अंक-1 (पाक्षिक) जयपुर, 1 सितम्बर,2021 आर. एन.आई.रजि.नं. 46285/86 मूल्य: 75 पैसे

विधिक सलाह मुफ़्त

भ्रष्ट व्यवस्था से परेशान राज्य सरकार विभाग व अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत निवेदकों को विधिक सलाह मुफ्त में उपलब्ध है। मो. 9414071434

वित्त विभाग में आदेश से लागू हुई नई प्रक्रिया

पी.डब्लयू.डी. में सब कुछ होगा ऑनलाईन, भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम लेकिन माप पुस्तिका (एम.बी.) पर स्थिति अभी और स्पष्ठ करने की जरूरत।

जयपुर। प्रदेश का एक मात्र विभाग पी.डब्लयू.डी. में सब कुछ ऑनलाइन होगा। वित्त विभाग के आदेश के बाद यह प्रदेश का पहला महकमा होगा जिसमें सारी प्रक्रिया पेपर लेस होगी। इसके तहत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति, कार्यादेश, जी शेडयूल और नवीनतम बी.एस.आर. के साथ ही माप पुस्तिका (एम.बी.) भी ऑनलाइन हो जाऐगी। ज्ञात हो कि पी.डब्लयू.डी. विभाग में एम.बी. (माप पुस्तिका)के ऑनलाइन होने पर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है। लेकिन विभाग के मुख्य अभियन्ता और अतिरिक्त सचिव संजीव माथुर का मानना है कि अब इस सिस्टम का लागू होना जरूरी हो गया था क्योकि भुगतान की समस्याये सामने आने लग गई थी। विभाग पूरी तरह तैयार है। हालाकि माप पुस्तिका (एम.बी.) के बारे में वित्त विभाग से अभी स्थिति और अधिक स्पष्ट होनी है।

अब पी.डब्लयू.डी. में सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से 75 साल पुराना ठर्रा एकदम खत्म हो जाएगा। हालांकि वित्त विभाग के आदेश के अनुरूप ही ट्रेजंरी के मार्फत ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया करीब तीन साल पहले शुरू हो चुकी है। लेकिन अन्य कार्य कागजों में ही चल रहे है। लेकिन अब माना जा रहा है कि ठेकेदारों और कंपनियों के माप पुस्तिका (एम.बी.) में भरे जाने वाले बिल भी अब ऑनलाइन ही बनाए जाएगे।

ज्ञात हो कि प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने पी.डब्लयू.डी. कार्यप्रणाली असंतोष जाहिर किया था साथ ही विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी ताकि नियमानुसार प्रणाली विभाग की सुनिश्चित करें।

अब प्रकाश स्तम्भ अखबार से सम्बन्धित प्रकाश स्तम्भ टीवी यू टूयूब पर देखिये

प्रकाश स्तम्भ टीवी

मो. एवं वाटसऐप नं.
9414071434,
9057676369

खबरें एवं विज्ञापन से सम्बन्धित जानकारीयां अवश्य दे।

जयपुर पी.डब्लयू.डी. विभागमें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को बनाया मजाक। बडे भाई छोटे भाइयों को बचाने का करते है भरसक प्रयास

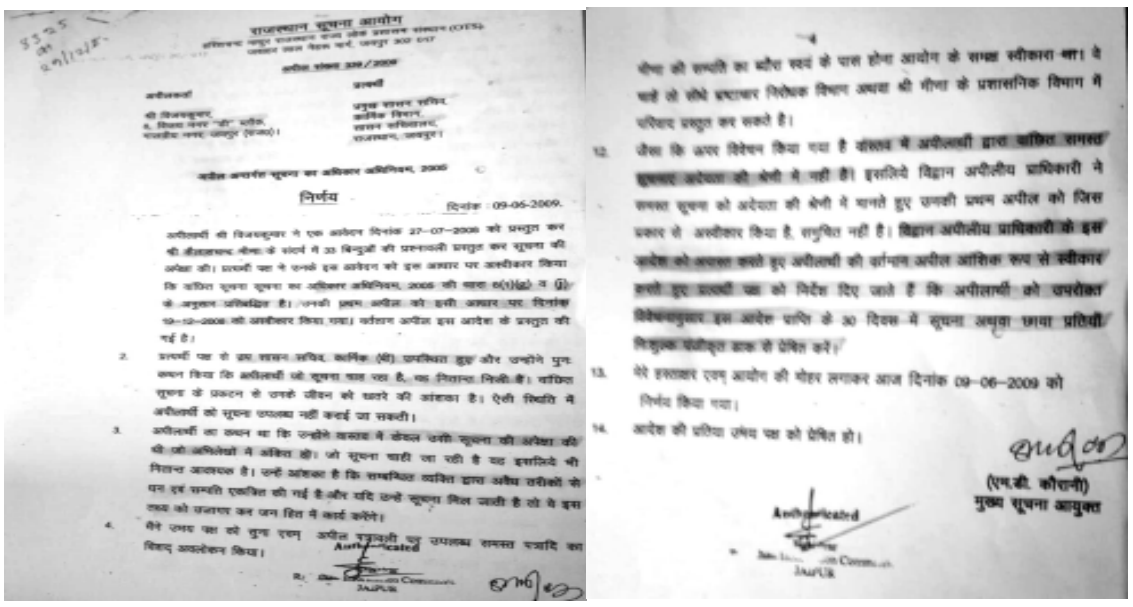

जयपुर। विजय कुमार ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अनिल विजयवर्गीय अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. नगर वृत्त जयपुर की संपत्ति की चाही गयी थी। कार्यालय ने जवाब बताया कि इस कार्यालय में संधारित पत्रावली में इन चल संपत्ति की सूचना उपलब्ध नहीं है। अनिल विजयवर्गीय की सूचना आप कार्मिक विभाग की वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते है। ज्ञात हो कि कार्मिक विभाग की वेबसाइट 2017 से ही अपडेट नहीं है। साथ सरकार बार-बार दोहरा रही है कि सरकारी अधिकारी-कर्मचारी अपनी-अपनी संपत्ति की सूचना सरकार को दे। जो नहीं देगा उसकी पदोन्नती पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन पी.डब्लयू.डी. में जब अपने ही अधिकारियों की सम्पत्तियों का ब्यौरा नहीं है तो कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर क्या उपलब्ध होगा।